राजस्व प्रार्थना पत्र 62 / 2018
जीसीएमएसम नंबर 2018 / 00155
हुकमसिंह बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र चौधरी **आर.ए.एस**

प्रार्थना पत्र–62 / 2018

प्रार्थी–

1. हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह, जाति–राजपूत, निवासी– खंवर, तहसील–जायल।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री जीयाराम गोदारा
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 14/05/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह ही है मगर गांव की बोलचाल भाषा में प्रार्थी को कालु कहकर बुलाया जाता है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा रोल तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 26 के खसरा नम्बर 245 में प्रार्थी का नाम कालुसिंह पुत्र जगमालसिंह साकिन देह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मतदाता फोटो पहचान पत्र डीसीवी 16371361 , व आधारकार्ड संख्या 2703, 9911, 1439 , भामाशाह कार्ड संख्या 9999–वाईआई25–00245, नकलजमाबंदी ग्राम खंवर सम्वत् 2071–2074, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सरंपच ग्राम पंचायत सोमणा का प्रमाण पत्र , हुक्मसिंह पुत्र जगमालसिंह के सगे भाईयों की तरफ से सहमति स्वरूप 50 रूपये का भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प सहमति बहक हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह का प्रमाण पत्र मे प्रार्थी का सही नाम हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये मय भू.अभि.निरीक्षक एवं हल्का पटवारी सोमणा की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.11.2019 व 28.01.2020 के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी के खाता संख्या 26 में कालुसिंह पुत्र जगमालसिंह सा. देह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी खाता संख्या 26 खसरा नंबर 245 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी कालुसिंह के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र डीसीवी 16371361 , व आधारकार्ड संख्या 2703, 9911, 1439 , भामाशाह कार्ड संख्या

14/05/2022

9999–वाईआई25–00245, नकलजमाबंदी ग्राम खंवर सम्वत् 2071–2074, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सरंपच ग्राम पंचायत सोमणा का प्रमाण पत्र , हुक्मसिंह पुत्र जगमालसिंह के सगे भाईयों की तरफ से सहमति स्वरूप 50 रूपये का भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प सहमति बहक हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह का प्रमाण पत्र मे प्रार्थी का सही नाम हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह दर्ज हैं। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में कालुसिंह नाम से पुकारने कारण इनके विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम कालुसिंह दर्ज किया था। उपस्थित मौतबिरानों एवं ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र ने कालुसिंह तथा हुकमसिंह दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में भू.अभि.निरीक्षक एवं हल्का पटवारी सोमणा तहसील जायल की मौका रिपोर्ट, मतदाता फोटो पहचान पत्र डीसीवी 16371361 , व आधारकार्ड संख्या 2703, 9911, 1439 , भामाशाह कार्ड संख्या 9999–वाईआई25–00245, नकलजमाबंदी ग्राम खंवर सम्वत् 2071–2074, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सरंपच ग्राम पंचायत सोमणा का प्रमाण पत्र , हुक्मसिंह पुत्र जगमालसिंह के सगे भाईयों की तरफ से सहमति स्वरूप 50 रूपये का भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प सहमति बहक हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में खंवर के खतौनी सं. 26 में अंकित खसरा नं. 245 में प्रार्थी का नाम कालुसिंह पुत्र जगमाल सिंह के स्थान पर हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति–राजपूत निवासी खंवर शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज खंवर तहसील जायल के खतौनी सं. 26 में वर्णित खसरान संख्या 245 की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो जरिये विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र डीसीवी 16371361 , व आधारकार्ड संख्या 2703, 9911, 1439 , भामाशाह कार्ड संख्या 9999–वाईआई25–00245, नकलजमाबंदी ग्राम खंवर सम्वत् 2071–2074, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, सरंपच ग्राम पंचायत सोमणा का प्रमाण पत्र , हुक्मसिंह पुत्र जगमालसिंह के सगे भाईयों की तरफ से सहमति स्वरूप 50 रूपये का भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प सहमति बहक हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह का प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियों में प्रार्थी कालुसिंह एवं हुकमसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय हुकमसिंह के स्थान पर कालुसिंह दर्ज हुआ है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व प्रार्थना पत्र 62/2018
जीसीएमएसम नंबर 2018/00155
हुकमसिंह बनाम् सरकार

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि कालुसिंह पुत्र जगमालसिंह एवं हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये कालुसिंह पुत्र जगमालसिंह के स्थान पर हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी–खंवर का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 26 में दर्ज खातेदार नाम कालुसिंह पुत्र जगमालसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम खवंर तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 26 खसरानं. 245 में दर्ज नाम कालुसिंह पुत्र जगमालसिंह के स्थान पर वास्तविक नाम हुकमसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी–खंवर तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

14/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल